कामकाजी महिलाओं के अधिकार

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

कामकाजी महिलाओं के अधिकार

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

कामकाजी महिलाओं के अधिकार

हर औरत कहीं न कहीं काम करती है। वह घर का काम तो करती ही है, अक्सर वह पैसा कमाने के लिए घर के बाहर भी काम करती है। काम करने वाली औरतों को मालूम होना चाहिये कि उनके कुछ मूल अधिकार बनते हैं। ये मूल अधिकार सरकार ने कानून बनाकर तय किये हैं।

ये कौन से अधिकार हैं ?

❖ *पहली बात, हर काम करनेवाले को काम के लिये वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए चाहे वह आदमी हो या औरत।*

❖ *दूसरी बात, यह वेतन या तनख्वाह कम से कम उतनी होनी चाहिए, जितनी सरकार ने तय की हो, यानि, न्यूनतम वेतन हर हाल में मिलना ही चाहिए।*

❖ *तीसरी बात, बराबर के काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए। यानि, एक ही काम के लिए या एक जैसे काम के लिए, औरत को पुरूष के बराबर पैसे मिलने चाहिए, कम नहीं।*

❖ *चौथी बात, औरतों को गर्भावस्था व प्रसूति से संबंधित कुछ खास अधिकार दिये गये हैं।*

अब इन अधिकारों को विस्तार से समझते हैं।

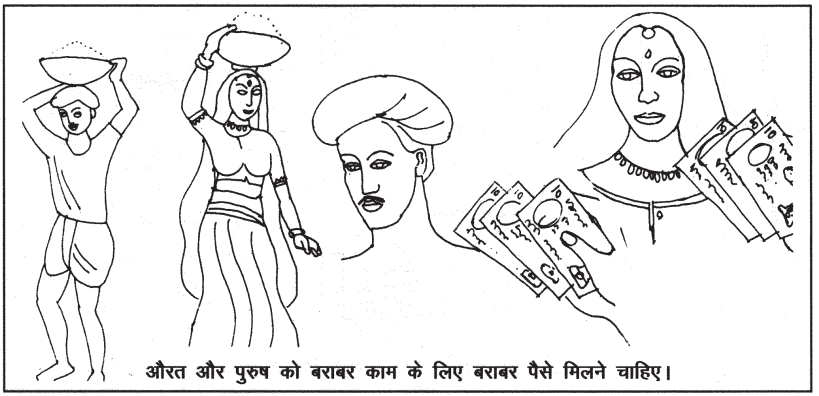

औरत और पुरुष को बराबर काम के लिए बराबर पैसे मिलने चाहिए।

प्रसूति के समय औरत के कुछ खास अधिकार हैं।

न्यूनतम वेतन

कानून में **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,** 1948 द्वारा यह निश्चित किया गया है कि एक व्यक्ति को उसके किये हुए काम के लिए कितना न्यूनतम वेतन, यानि कितना कम से कम पैसा किस हिसाब से रोजी के रूप में मिलना चाहिए। निर्धारित न्यूनतम वेतन की सूची श्रम इन्सपेक्टर, बी.डी.ओ. या पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यह सूची समय–समय पर परिवर्तित की जाती है।

न्यूनतम वेतन का हक किसको है ?

- *अस्थाई रूप से काम करनेवालों को,* जैसे कि पत्थर तोड़ने वाले या सड़क बनाने वाले।
- *काम के परिमाण के हिसाब से काम करनेवालों को,* जैसे बीड़ी बनाने वाले या सूती कपड़ा बुनने वाले।

ये न्यूनतम वेतन के हकदार हैं।

- *दिहाड़ी पर काम करनेवालों को,* जैसे खानों में काम करने वाले या भवन निर्माण पर काम करने वाले।
- *ठेकेदार के पास करने वालों को।*

❖ *किसी बागान या बीड़ी के कारखाने में काम करने वालों को।*

❖ *खेती के कामों में लगे कामगारों* पर भी यह कानून लागू होता है।

अगर आप न्यूनतम वेतन से कम पैसों पर काम करने के लिए मंजूर भी हुए हों, तब भी आपको काम पर लगाने वाला आपको न्यूनतम वेतन देने के लिए बाध्य है।

अलग–अलग कामों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। आपको कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, यह जानकारी आपको अपने नजदीकी 'लेबर आफिस' यानि 'श्रम दफ्तर' से मिल सकती है। आपको अपने काम के लिए न्यूनतम वेतन न दिया जा रहा हो, तो आप श्रम इन्स्पैक्टर के पास अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने गाँव के सरपंच से भी मिल सकते हैं। वे आपकी सहायता करेंगे। लेकिन ये सब हक किसी एक–दो काम करने वालों के माँगने से नहीं मिलेंगे। ये हक संगठित होकर माँगने होंगे।

कार्य समय निश्चित है

❖ *एक दिन में कितने घण्टे काम लिया जा सकता है, यह भी सरकार ने तय किया है। आपका मालिक आपसे दिन में 9 घण्टे से अधिक काम नहीं करवा सकता। इस अवधि में आराम का समय भी शामिल है। बच्चों से एक दिन में घण्टे 4½ से अधिक काम करवाना मना है।*

❖ *यदि आप इस निश्चित समय से अधिक काम करें तो आपको 'ओवरटाईम' यानि कि दुगुना पैसा वेतन के रूप में मिलना*

चाहिए। खेतिहर मजदूरों को 'ओवरटाईम' डेढ़ (1½) गुना मिलना चाहिये।

आराम या छुट्टी

(साप्ताहिक अवकाश)

काम करने वालों को सप्ताह में एक दिन आराम या छुट्टी दी जानी चाहिए। आप काम पर हाजिर रहें, लेकिन आपसे दिनभर काम न लिया जाये, तो वह आपकी छुट्टी नहीं मानी जायेगी। उस दिन का आपको पूरे दिन का वेतन दिया जाना चाहिए।

वेतन का भुगतान

- *वेतन प्रतिदिन, प्रति घण्टे, प्रति सप्ताह, हर पन्द्रह दिन पर या प्रति महीने के हिसाब से दिया जा सकता है।*
- *आपको वेतन नकद मिलना चाहिए। यह आपका हक है। खेतिहर मजदूर वेतन कुछ नकद में और कुछ अनाज के रूप में ले सकते हैं।* मालिक आपको नकद वेतन के बदले में और कुछ लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
- *जहाँ एक हजार से कम लोग काम करते हों, वहाँ काम करने वालों को मजदूरी की अवधि पूरी होने के सातवें दिन से पहले वेतन मिल जाना चाहिए।*
- *बाकी सभी काम करने की जगहों पर काम की अवधि के दसवें दिन तक वेतन मिल जाना चाहिये।*
- *आपको मिलने वाले वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती।*

किसी कर्मचारी को सरकार द्वारा निश्चित किया गया न्यूनतम वेतन न देना कानूनी अपराध है और इसके लिए अपराधी को 6 महीने तक की सजा, या फिर 500 रूपये तक जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं।

समान वेतन

सरकार ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।** यह कानून कहता है –

❖ *एक ही तरह के काम के लिये स्त्री और पुरूष को एक जैसा वेतन मिलना चाहिये।* अधिकतर ऐसा होता है कि स्त्री–पुरूष दोनों एक ही तरह के काम में लगे होते हैं, पर पुरूष को ज्यादा पैसे मिलते हैं। यह गलत है। यह जरूरी नहीं कि काम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिये। ''एक या समान कार्य'' उसे कहेंगे जो मिलते जुलते हों और जिनमें करीब–करीब एक जैसी मेहनत लगती हो।

❖ *जिस काम के लिए पुरूषों को भर्ती किया जाए, उस काम के लिए स्त्रियों को भर्ती होने का भी हक है अगर वे उस काम के काबिल हैं।*

काम पर लगाने वाला व्यक्ति यानि मालिक किसी भी स्त्री कामगार से वेतन में, भर्ती में, बढ़ौती में, तरक्की में या बदली में भेदभाव नहीं कर सकता। यदि कोई भी व्यक्ति आपको इसलिए काम पर रखने से इन्कार करता है कि आप स्त्री हैं, तो उस व्यक्ति को सजा हो सकती है।

अगर कोई महिला और पुरूष कर्मचारी लगभग एक जैसा काम

करते हैं, और मालिक उन दोनों में भेदभाव करते हुए समान वेतन नहीं देता है तो उसको 2 साल तक की सजा और कम से कम 10,000 रूपये से लेकर 20,000 रूपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

फैक्टरियों में काम

फैक्टरी में काम करने वाली महिलाओं के लिए कानून ने कुछ विशेष सुविधाएँ तय की हैं। यह **फैक्टरी अधिनियम, 1948** नामक कानून के तहत दी गई हैं।

ये सुविधाएँ हैं :–

- ❖ *महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग शौचालय और दरवाजे वाले गुसलखाने होने चाहिए।*
- ❖ *जहाँ 30 से अधिक महिलाएँ काम करती हों, उस फैक्टरी में एक 'क्रेश' या झूलाघर यानि बच्चों की देखभाल के लिए जगह जरूर होनी चाहिए।*
- ❖ *सफाई सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधाएँ होनी चाहिए।*
- ❖ *महिलाओं से निश्चित वजन से ज्यादा वजन नहीं उठवाया जा सकता।*
- ❖ *महिलाओं से किसी चलती मशीन को साफ करवाना या तेल लगवाना मना है।*

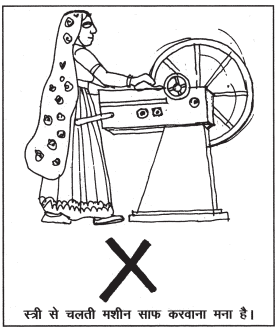
स्त्री से चलती मशीन साफ करवाना मना है।

- ❖ *महिलाओं से एक सप्ताह में 48 घण्टों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। (फैक्टरी में ओवरटाइम का काम नहीं लिया*

जा सकता)।

- ❖ *हफ्ते में एक दिन अवकाश का यानि छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए।*
- ❖ *5 घण्टों से अधिक लगातार काम नहीं करवाया जा सकता।*
- ❖ *काम सिर्फ सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे के बीच करवाया जा सकता है।*

प्रसूति सुविधाएँ

काम करने वाली स्त्रियों के लिए एक विशेष कानून है। इसका नाम है **''प्रसूति प्रसुविधा अधिनियिम, 1961''।** इसके अन्तर्गत कुछ खास सुविधाएँ दी जानी चाहियें। ये सुविधाएँ :–

- ❖ *गर्भावस्था के दौरान*
- ❖ *बच्चा पैदा होने के बाद, और*
- ❖ *मातृत्व की शुरूआत के महीनों में दी जाती है।*

कामकाजी महिलाओं को कौन–कौन सी प्रसूति सुविधाएँ मिलती हैं ?

- ❖ *कामकाजी महिला को प्रसूति के लिए कुल 12 हफ्ते की छुट्टियाँ मिलती हैं। यह छुट्टियाँ पूरे वेतन के साथ होती है।*
- ❖ *यदि महिला शादीशुदा न हो तो भी उसे प्रसूति की छुट्टियाँ लेने का अधिकार है।*
- ❖ *ये छुट्टियाँ वह महिला चाहे तो कुछ दिन प्रसूति के पहले और कुछ दिन प्रसूति के बाद ले सकती है। अगर वह चाहे*

तो पूरी छुट्टी प्रसूति के बाद भी ले सकती है।

❖ *जो महिलायें सरकारी नौकरी कर रही हैं उन्हें प्रसूति के लिए कुल 135 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। अब सरकारी कार्यालयों में और कई निजी कामों पर भी बच्चे के पिता को भी कुछ दिनों की छुट्टी मिल सकती है ताकि वह अपनी पत्नी व बच्चे की देखरेख कर सके।*

किसी स्त्री को प्रसूति के छः हफ्ते पहले काम पर नहीं रखा जा सकता।

स्त्री से प्रसूति के 6 हफ्ते बाद तक काम लेना कानूनी अपराध है।

❖ *यदि मालिक प्रसूति से पहले और प्रसूति के बाद की आवश्यक डॉक्टरी चिकित्सा सुविधाएँ नहीं दे सकता, तो उसे 250/– रूपये 'मेडिकल बोनस' यानि की डॉक्टरी चिकित्सा का खर्च भी देना होगा।*

❖ *गर्भावस्था में, काम के आखिरी एक महीने के दौरान स्त्री से कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता जो स्त्री को शरीर से थका दे।*

❖ *कोई ऐसा काम भी नहीं करवाया जा सकता जिसमें स्त्री को लम्बे समय के लिए खड़ा रहना पड़े या भारी वजन उठाना पड़े। आप बाकायदा ऐसा काम करने से इन्कार कर सकती हैं, जिससे पेट में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा हो।*

❖ *यदि बच्चा गिर जाता है, तो स्त्री को बच्चा गिरने के बाद 6*

हफ्ते की छुट्टियाँ पूरे वेतन पर मिलने का अधिकार है।

जो महिलाएँ सरकारी नौकरी कर रही हैं उन्हें 45 दिन की छुट्टियाँ अपने पूरे कार्यकाल में मिलेगी। मीरा सरकारी नौकर है। मीरा ने पहली बच्चा गिर जाने पर 45 दिन की छुट्टियाँ ले ली। दूसरे साल फिर उसका बच्चा गिर गया। इस बार मीरा को बच्चा गिरने के लिए छुट्टियाँ नहीं मिली। उसे बिना वेतन छुट्टियाँ लेनी पड़ी।

❖ *यदि कोई स्त्री गर्भावस्था के कारण, बच्चा गिर जाने के कारण, प्रसूति के कारण 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो जाने के कारण, बीमार पड़ती है, तो उसे एक महीने की अधिक छुट्टियाँ पूरे वेतन पर दी जायेंगी। यानि कि कुल मिलाकर उसे 6 हफ्ते और एक महीने की छुट्टियाँ मिलेंगी।*

❖ *बच्चे का जन्म हो जाने के बाद स्त्री काम पर लौटती है, तब बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे दिन में दो बार समय मिलेगा। बच्चा 15 महीने का होने तक माँ को यह सुविधा मिलनी चाहिए। दो बार दिया जाने वाला यह समय आमतौर से दिए जाने वाले आराम के समय के अलावा दिया जाता है।*

❖ *अगर बच्चा पेट में या पैदा होने के बाद मर जाता है, तब भी माँ को ये सुविधाएँ मिलेंगी।*

❖ *यदि बच्चा पैदा होने के बाद माँ की मौत हो जाती है, तब भी प्रसूति के बाद के 6 हफ्तों का वेतन दिया जायेगा। यह वेतन उसके वारिसों को दिया जायेगा, जैसे कि उसके बच्चे, पति, माता–पिता इत्यादि। स्त्री चाहे, तो अपने नोटिस के पत्र में किसी का भी नाम दे सकती है जिसे उसके मरने पर वेतन के पैसे दिये जायें।*

परन्तु यदि माँ के साथ–साथ बच्चे की मौत हो जाती है, तो केवल बच्चे के मरण–दिन तक का वेतन दिया जायेगा।

हाँ, ये सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए वेतन पर काम करने वाली स्त्री ने अपनी प्रसूति से पहले के 12 महीनों में उसी मालिक के पास कम से कम 80 दिन काम किया हो।

स्त्री को चाहिए कि वह मालिक को अपनी गर्भावस्था की सूचना दे। यह सूचना लिखित रूप से देना ठीक रहता है। इस नोटिस में स्त्री को अपनी प्रसूति की संभावित तारीख और छुट्टी पर जाने की तारीख लिखनी चाहिये। उसे यह भी लिखना चाहिये कि वह छुट्टी के दौरान कहीं और काम नहीं करेगी। अगर कोई स्त्री पहले नोटिस नहीं दे सकती तो उसे प्रसूति के बाद यह सूचना दे देनी चाहिए। प्रसूति के पहले की छुट्टी के पैसे छुट्टी पर जाने के पहले मिल जाने चाहिये। प्रसूति के 6 हफ्तों के बाद की ये सुविधाएँ आपको प्रसूति की सूचना देने के 48 घण्टों के अन्दर मिल जानी चाहिए।

आपको काम पर रखने वाला यदि आपको प्रसूति–कल्याण सुविधाएँ देने से इन्कार करता है तो आप उसके खिलाफ *'श्रम इन्सपेक्टर'* को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। ये सुविधाएँ न देने के लिए मालिक को सजा और जुर्माना हो सकता है।

ये सुविधाएँ उन काम करने वाली स्त्रियों को नहीं दी जायेंगी जो छुट्टी तो लेती हैं मगर छुट्टी के दौरा किसी दूसरी जगह पर काम करने लगती हैं।

आपको यदि न्यूनतम वेतन, समान वेतन, प्रसूति कल्याण सुविधाएँ न दी जायें तो आपको इन लोगों की सहायता लेनी चाहिए :

1. *श्रम अधिकारी (लेबर आफिसर)*
2. *श्रम आयुक्त (लेबर कमिश्नर)*
3. *समाजसेवी संस्थाएँ।*

हर नारी याद रखे

बराबर काम के बराबर पैसे।
मालिक दे पुरूषों को ज्यादा कैसे ?
मेहनत वही, मजदूरी वही
फिर क्यों न दें वेतन सही ?
पेट में यदि ठहरा हो बच्चा,
भारी काम न करना जच्चा।
बच्चा हो, छुट्टी पर जाना,
फिर भी पूरा वेतन पाना।
न दे कोई ये अधिकार
तो सब मिलकर रपट लिखाना।

मत कहो कि
जो दो, ले लेंगे
कहो हक हमारा पूरा दो
इतने काम का इतना पैसा
सरकार ने तय किया है जैसा।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

अक्सर कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उनको समझ नहीं आता कि वे दोषी के खिलाफ क्या और कैसे कदम उठाएँ। इस तरह का व्यवहार कानूनन अपराध तो है लेकिन रोजमर्रा की बात को थाने ले जाना कई महिलाओं के लिए संभव नहीं है। इस परेशानी को देखते हुए, 1997 में उच्चतम न्यायालय ने **'विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य'** मामले में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिये। इसके अनुसार :–

यौन उत्पीड़न है :

- ❖ शारीरिक स्पर्श या यौन मित्रता की कोशिश या मांग
- ❖ यौन सम्बन्ध स्थापित करने की मांग या अनुरोध
- ❖ यौन सम्बन्धी टिप्पणी या मजाक
- ❖ अश्लील पुस्तक या चित्र दिखाना
- ❖ किसी भी तरह का यौन सम्बन्धी अनचाहा व्यवहार

यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए :

- ❖ यौन उत्पीड़न की मनाही यथोचित तरीकों से प्रकाशित, सूचित व वितरित की जाएगी।
- ❖ सरकारी व पब्लिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नीति–नियमों और निर्देशों में यौन उत्पीड़न की मनाही और उसके लिए दण्ड के प्रावधान दिए जाएंगे।
- ❖ निजी संस्थानों के स्थायी आदेश (स्टैंडिंग आर्डर) में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए।

- ❖ महिलाओं के लिए उपयुक्त सुविधाएँ देनी आवश्यक हैं, जिससे उन्हें अपनी परिस्थिति में कोई कमी महसूस न हो।
- ❖ यदि किया गया व्यवहार भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य कानून में अपराध हो तो मालिक का दायित्व है कि उचित कार्यवाही की जाए। यह भी दायित्व है कि कार्यवाही के दौरान पीड़ित व्यक्ति या गवाहों पर किसी तरह का दबाव या असमान व्यवहार न हो।
- ❖ पीड़ित व्यक्ति यौन शोषण करने वाले का या अपना स्थानांतरण (ट्रांसफर) की मांग कर सके।
- ❖ जहाँ ऐसा व्यवहार नीति–निर्देशों या नियमों के विरूद्ध हो, वहाँ उचित कार्यवाही करनी होगी।
- ❖ कोई नीति–निर्देश या नियम ना भी हो, तो भी शिकायतों की जाँच के लिए कोई व्यवस्था करनी जरूरी है। ऐसी व्यवस्था जहाँ संभव हो एक शिकायत समिति गठित करके की जाएगी। इस शिकायत समिति की मुखिया एक महिला होनी चाहिए और कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिऐं। इसके अलावा किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल करना जरूरी है। यह किसी गैर–सरकारी संस्था का सदस्य या यौन उत्पीड़न के विषय से परिचित व्यक्ति होना चाहिए।
- ❖ यह शिकायत समिति संबंधित सरकारी विभाग को सालाना रिपोर्ट देगी, जिसमें शिकायतें और उन पर उठाए गए कदमों का ब्यौरा होगा।
- ❖ कर्मचारियों को अपनी बैठकों व अन्य मंचों पर यौन उत्पीड़न के विषय पर चर्चा करने की छूट होगी।
- ❖ इस विषय में महिला कर्मचारियों की जानकारी बढ़ाने के लिए

उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिऐं।

❖ यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर यौन हिंसा की जाए तो मालिक उसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएंगे।

यह सभी निर्देश सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी कार्यस्थलों पर भी पूरी तरह लागू हैं।

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्रोत : नई दिल्ली